RAJYA SABHA

Tuesday, the 18th August, 1987/27 Sravana, 1909 (Saka)

The House met at eleven of the clock, the Deputy Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Increase in Pollution

*301. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that of late there has been considerable increase in air and water pollution in the country;

(b) if so, what are the reasons therefor:

(c) whether the Central Government will direct the State Governments to take suitable steps to check the menace; and

(d) if so, what steps have been taken so far in this direction?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BHAJAN LAL): (a) and (b) Yes, Sir. The water and air quality have deteriorated in a few places due to rapid industrialisation, growth of population, urban congestion and increase in vehicular traffic.

(c) the Central Government has asked the States:

(i) to direct the industries to instal necessary treatment facilities and to bring down the pollutant levels to prescribed standards before discharge.

(ii) to make necessary amendments to the Motor Vehicles Rules for enforcing the standards on a time bound basis.

(iii) to take legal action against the defaulting units.

(d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The steps taken to control pollution include the following:

——Minimal National Standards and emission limits for polluting industries have been prescribed and Task Forces set up to help the State Boards in implementation of these standards in a phased manner. At the instance of the Central and State Boards, out of 4054 polluting industries (major & medium), 2076 units have installed effluent treatment plants;

—A network of water and air quality monitoring stations have been set up;

—River basin-wise studies have been conducted. Based on such a study in the Ganga basin, the Ganga Action Plan has been launched;

—Guidelines for siting of new industries have been framed;

—Clearance of Industrial Projects from environmental angle from appropriate authority is necessary;

—As part of the decade goals the States were to provide sewerage in all class I cities resulting in reduction of pollution from domestic wastes;

—The Environment (Protection) Act, 1986, which is a comprehensive legislation covering all aspects of environmental pollution has been brought into force.

श्री संतोष बागड़ोदिया : मैडम, जो धुआं फैरो-मैंगनीज संयंत्रों से निकलता है वह आकाश में वातावरण में जाकर वातावरण को प्रदूषित करता है तथा आसपास के निवासियों को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रति क्यूबिक मीटर धुंए में 50 से 60 मिलीग्राम मैंगनीज राख व धूल आकाश में फैंकी जाती है। उनका आ कहना है कि वातावरण केवल 6 मिलीग्राम राख व धूल अपने में समा सकता है, पर 45 से 55 मिलीग्राम मैंगनीज प्रदूषण आसमान में सम्मिलित रहता है। इस मैंगनीज प्रदूषण को जो व्यक्ति सांस

से प्राप्त करता है, वह नपुंसक हो जाता है। इस प्रकार के मामले फैरो-मैंगनीज खानों में कार्यरत मजदूरों में देखे गये हैं।

इस गंभीर परिस्थिति के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है और देश में आज तक कितनी कंपनियों, फर्मों, व्यक्तियों को पर्यावरण प्रदूषण कानून का उल्लंघन करने के संबंध में दोषी पाया गया है? क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया?

उपसभापति : आप सवाल पूछिये।

श्री संतोष बागड़ोदिया : क्या उन्हें किसी प्रकार की सजा दी गई? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री भजन लाल : उपसभापति जी, सरकार ने प्रदूषण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की, जो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से अभी हाल ही में पिछले सेशन में कानून पास किया और 19 नवम्बर को उसे लागू किया ताकि प्रदूषण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ, इकाईयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो सके और उसमें हमने यह प्रावधान किया है कि अकेली सरकार ही नहीं, प्राइवेट व्यक्ति भी किसी भी उद्योग के खिलाफ केस दायर कर सकता है और डिपार्टमेंट भी उसकी पूरी सहायता करेगा, जो भी उसमें उसको सहयोग चाहिये वह सहयोग देगा ताकि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो सके और प्रदूषण मुल्क में बंद हो, प्रदूषण नहीं फैले।

जहां तक वायु से, जो इन्होंने कहा कि धुंआ निकलता है उसके लिय बाकायदा हमने मानक निर्धारित किय हैं। उसमें सात शहरों में कार्यवाही चालू है, बाकी जगह के लिये बाकायदा मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें स्टटस को लिखा है, मुख्य मंत्रियों को लिखा है। प्रधान मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि उसको लागू किया जाये। कुछ स्टेट्स ने उस पर अमल किया है, बाकी स्टेटस अमल करने जा रही हैं।

जहां तक, जिनके खिलाफ कार्यवाही करने का ताल्लुक है, हमने कोई 4054 इंडस्ट्रीज, ऐसी काइयों को हमने तलाश किया जो प्रदूषण करती हैं, उनमें से 2,076 ने ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिये हैं और हमने 1,194 के खिलाफ कोर्ट में केसेज किये हैं, जिनमें से 265 का निर्णय हो चुका है और 929 केस कोर्ट में पेंडिंग हैं। यह तो वाटर एक्ट के तहत किया।

जहां तक वायु से दूषण करने वाली इंडस्ट्रीज हैं, उनके खिलाफ हमने 192 के खिलाफ कोर्ट में केसेज किये हैं, 84 का फैसला हो गया है, 108 पेंडिंग हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : नपुंसकता का जो सवाल उठाया गया है, उस पर आपने कुछ नहीं बताया है।

श्री संतोष बागड़ोदिया : उपसभापति महोदय, मेरी सैकण्ड सप्लीमेंट्री यह है कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए स्वैच्छिक संगठनों का क्या रोल है? इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या इस प्रकार के संगठनों को कानूनी मान्यता, समर्थन और तकनीकी सहायता सरकार द्वारा प्रदान की गई है?

श्री भजन लाल : महोदया, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बाकायदा कानून में पूरी व्यवस्था की गई है कि कोई भी प्राइवेट संस्था, और प्राइवेट व्यक्ति भी उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं और वही कानून वही सजा उन पर लागू होगी और उसमें बाकायदा प्रावधान किया गया है कि 5 साल से लेकर 7 साल तक सजा होगी, एक लाख रुपया जुर्माना होगा।.....(**व्यवधान**)

श्री शंकर सिंह वाघेला : कितनों को सजा हुई?

श्री भजन लाल : महोदय, अभी मैंने बताया था कि हमने 1194 के खिलाफ कोर्ट में केस किए, जिसमें से

265 के फैसले हुए, 929 पेंडिंग हैं । जैसा मैंने कहा कि उनको पूरा अधिकार है कोई भी व्यक्ति केस अदालत में कर सकता है ।

श्री शंकर सिंह वाघेला : उपसभापति महोदया, यह बिल्कुल प्रदूषण आपके कानून में भी वृद्धि पा रहा है, आपके एक भी कानून का इंम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है । मैंने एक पत्र आपको लिखा है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर को लिखा और वहां प्रदूषण बोर्ड को भी लिखा है । दो लोग कुएं में जिसमें गंदा पानी जाने से गैस निकली और मर गए उनमें एक मजदूर था और एक किसान का लड़का था और वह पानी जहां से आता है 25-30 किलोमीटर दूरी पर गंदा पानी केमिकल्ज फैक्टरी से निकलकर जाता है, वहां कोई एनीमल भी पानी पी नहीं सकता कोई कुछ नहीं कर सकता, बार-बार कहने पर भी रिजल्ट जीरो है । मैं आपसे पुछना चाहता हूं कि 2 अक्तुबर को माननीय मंत्री जी, मैं खुद लीड करके वहां जितने गांव हैं वह पानी जहां से निकलता है हम बंद करने जा रहे हैं और पानी नहीं निकलने देंगे, जिससे कि लोग मरते हैं । मे माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे उद्योगों का पानी जिसमें पानी का प्रदूषण और पानी में से वायु का प्रदूषण दोनों इकठ्ठा है उसको रोकने के लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, आप जानते हैं कि यह बड़ा भारी महत्व का विषय है और बहुत अहम है और बड़ा विशाल है । यह कोई एक फैक्टरी की बात नहीं, देश में बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनसे प्रदूषण होता है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्होने चिठ्ठी मुझे लिखी भी है और हमने डिपार्टमेंट को भेजी है उस पर कार्यवाही करने के लिए और आप जानते हैं कि स्टेटस में सब जगह स्टेट बोर्ड बने हुए हैं और वह उनका कार्य क्षेत्र है कि वह कार्यवाही करें, हमने बार-बार उनको लिखा है और जो उन्होंने लिखा है कि उस पर कार्यवाही करवा रहे हैं । अभी हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है कि क्या कार्यवाही हुई है । लेकिन इसी बात को ले कर हमने कानून बनाया है और एयर एक्ट लाने जा रहे हैं इसी पार्लियामेंट सेशन में जिससे कि पूरा कंट्रोल हो सके और सख्ती से उस पर अमल हो ।

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, मेरी जानकारी में यूरोप में मैंगनीज विषों को एक व्यवसायिक जोखिम माना जाता है और जो मजदूर मैंगनीज की खानों में या फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको वेतन के साथ-साथ इस बात का भी मुआवजा दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है । मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार की क्या राय है और वह क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, यह लेबर मिनिस्ट्री का सवाल है मेरे डिपार्टमेंट से ताल्लूक नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि लेबर के लिए सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाये हैं उनकी सुविधा के लिए उठाये हैं, उनके बच्चों के पालन-पोषण के लिए उठाये हैं । फैक्ट्रीज एक्ट के तो सारी कार्यवाही उनके खिलाफ यानि मालिकों के खिलाफ की जाती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : महोदया, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय फेक्ट्रीज और बस और ट्रक्स के परमिटस दिए जाते हैं, लाइसेंस दिए जाते हैं क्या उस समय भी उनके कानून में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है कि वह वायु प्रदूषण उनके चालू करते समय नहीं करेंगे ? दूसरा, मोटर व्हिक्लज एक्ट के नामों की आपने चर्चा की है.... यह सेन्टर का सब्जेक्ट है, सेण्टर का एक्ट है, आपने इसमें क्या अमेंण्डमेंट किए ? तीसरा, मान लिया, मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले 55 वर्ष से उत्तर प्रदेश और बिहार में शुगर फैक्टरीज हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने अनेकों बार इस प्रकार का आश्वासन दिया है कि

फैक्टरीज जो नदियों में पानी डालती हैं अपना और वह पानी डालकर प्रदूषण करती हैं, जिससे जानवर मरते हैं, मछलियां मरती हैं, उनको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है 55 वर्ष से अभी तक किसी भी सरकार ने ? अगर आपने कुछ की हो तो बताएं ।

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, जैसा कि वर्मा साहब ने सवाल किया, जहां तक मोटर व्हीकल एक्ट का ताल्लुक है, यह ठीक बात है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का है सेंट्रल एक्ट है । लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है उसमें रूल बनाने का और रूल के तहत आगे अपनी कार्यवाही कर सकते हैं । बहुत सी स्टेटों ने रूल में तबदीली की है और तबदीली करके कार्यवाही करनी शुरू भी की है, जैसे महाराष्ट्र में, कलकत्ता में, दिल्ली में इस तरह की कार्यवाही करनी शुरू की है एक्ट बनाकर । एक्ट में भी हम बहुत जल्दी तरमीम करने जा रहे हैं, उसके लिए प्रधान मंत्री जी ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में हमारा यह सारा डिसकस हुआ है । हो सकता है इसी सेशन में आए, नहीं तो अगले सेशन में आ जायगा यहां भी इसमें तरमीम करने जा रहे हैं ताकि मोटर व्हीकल एक्ट को सख्त बनाया जाया, यातायात से जो प्रदूषण होता है, उसको रोका जा सके ।

दूसरा सवाल इन्होंने किया कि तटीय क्षेत्रों में फैक्टरी का पानी बहुत सी नदियों का गिरता है । तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने उसका सर्वे कराया है और उम्मीद है, कुछ जगह सर्वे हो चुका है, आने वाले एक साल में तटीय क्षेत्रों का सब सर्वे कर लेंगे और सर्वे करने के बाद आप जानते हैं साधन सीमित हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण को रोका जाये, गन्दा पानी नदियों में न जाये क्योंकि नदियों में जाने के बाद वह पानी आगे पीने के काम आता है, उससे इंसान और जानवर दोनों के जीवन पर असर हो सकता है । इसलिए सर्वे कराया था और सर्वे कराकर आगे कार्यवाही की जा रही है ।

जहां तक आपने कहा नए लाइसेंस देते समय, नया मोटर व्हीकल एक्ट जब बनाएंगे .... (**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : नए उद्योग को नया लाइसेंस देने का ।

श्री भजन लाल : नए उद्योग को लाइसेंस देने का जहां तक ताल्लुक है, इसमें हमने फैसला किया है, भारत सरकार ने कि नए उद्योग को लाइसेंस तब जारी किया जायगा, जब वह उस फैक्टरी में पोटमेंट प्लांट लगाकर बताएगें कि प्रदूषण नहीं होगा तभी लाइसेंस जारी होगा और वह फैक्टरी प्रोडक्सन कर सकेगी ।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, my question relates to whether the States and Central Pollution prevention Boards have been liaising with the Meterological Departments in various places because we all know that one of the great contributory factors in Bhopal was the presence of strong wind, and it ha been suggested by several environment experts that whenever the meterological conditions are conveyed to the various industries, then the level of air pollution—the effluents that they discharge into the air—can be kept to the minimum. I want to know whether this can be considered by the State and Central Boards. Madam, part (b) of my question relates to noise pollution. Noise pollution is a major part of air pollution and the great noise pollution due to industrial noises and also due to the noises caused by automobiles and loudspeakers has caused madness and has often led to an increase in uicides in the metropolitan areas.

SHRI SHANKER SINH VAGHELA: What about the noise pollution here in Parliament?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: That comes mainly from that side.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Madness is generated... (*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I want to know whether the State and Central Boards for Prevention of Pollution have conducted a survey of noise pollution and formed a code according to which noise pollution can be regulated.

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, बहिन जी ने जो सवाल किए उनमें एक तो भोपाल गैस कांड की बात कही । सभी जानते हैं कि वह प्रदूषण की बात नहीं थी । अगर कोई पाइप फट जाए, अचानक कोई हादसा हो जाय तो उसका ताल्लुक प्रदूषण से नहीं कहा जा सकता । मुझे इस बात का अफसोस है कि वहां बहुत-से लोग मरे । भारत सरकार ने भी उसमें पूरी कोशिश की । जहां तक दूसरा सवाल है शोर से प्रदूषण का, हम विचार कर रहे हैं और हो सकता है कि एअर प्रोटेक्शन ऐक्ट कल ही लोक सभा में आए । हम बहुत जल्दी उसको पास करने जा रहे हैं उसमें हम ने शोर को शामिल किया है । शोर के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय सदस्य मेहरबानी कर के शोर-शराबा हाउस में भी कम करें ताकि यहां का वातावरण भी ठीक रहे ।

SHRI A. G. KULKARNI: Have you taken care of the lung power in the House? What about the lung power in the House? Has that been considered?

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Including Mr. Kulkarni's.

SHRI NIRMAL CHATTERJI: In the midst of noise pollution, I can start my question. Madam, I will make a reference to a particular kind of pollution in which two months ago the Prime Minister was positively interested and to which now Mr. N.D. Tiwari has referred. Judging by the huge amount of collection of excise duty from cigarettes and bidis, it seems it is very difficult for them due to the need of resources, to get away from that. My question is: is there any intention or is there any effort proposed to be generated to ban smoking either of cigarettes or of bidis, and to begin with, even in the lobbies of the Parliament House and in the Central Hall etc.? (*Interruptions*) I want to be assured that there should be no ban. O.K.? That is part (a) of the question.

And part (b) is this. I take the cue from the hon. lady Member of the Congress (I) Party. During our student days, I remember, during 40s. when we were having our demonstrations against the British imperialists, we scrupulously avoided shouting slogans before hospitals Nursing homes were not very much in evidence. That was there earlier. Nowadays we see in Bengal also and everywhere ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: You ask your question.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: ... particularly the noise pollution before hospitals or within hospitals is very much there. Is there any proposal from the Government to ban such shouting of slogans and indulging in other kinds of noises like cassette playing, this and that at least the hospitals and inside the hospitals?

SHRI JAGDISH TYTLER: And in the House too.

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ठीक बात कही है । अस्पतालों के सामने लोग नारे लगाते हैं तो मरीज डिस्टर्ब होता है और उन्हें मानसिक तकलीफ भी होती है । इसी बात को लेकर हम ऐक्ट लाने जा रहे हैं । जहां तक उन्होंने धूम्रपान की बात कही - सिगरेट पीने के बारे में कहा । सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन कानूनी रोक लगाने में इसमें दिक्कत है क्योंकि यहां जितने माननीय सदस्य हैं, उनमें तकरीबन अच्छे सिगरेट और बीड़ी पीने वाले होंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : जी, नहीं ।

श्री भजन लाल : जो नहीं कहने से काम नहीं चलेगा । पहले हम अपने आपको ठीक करें फिर हम लोगों को कह सकते हैं । कहते हैं, "पहले क्रिया आप करो, फिर औरों को फरमाओ ।" पहले ईमान को खुद अमल करना चाहिए फिर बाद में हम दूसरों को कहने का अधिकार रखते हैं । पहले हम एम०पीज० को समझाएं हमारे मंत्री भी न पिएं फिर बाकी लोगों को कहें कि हम ने छोड़ दिया है आप भी छोड़ दो । उपसभापति महोदया, यह बड़ा अच्छा सुझाव है और इस पर विचार होना चाहिए और लोगों को अपने आप मन से त्याग करना चाहिए ।

SHRI RAOOF VALIULLAH: Madam, it has been observed that the major industries which pollute the river are incidentally water-consuming chemical industries. The Government of India is probably aware that there is a severe crisis of drinking water availability in most parts of the country, and due to scanty rains there is not enough fodder for cattle too. In such circumstances, would the Government force such water-consuming industries to at least treat the effluents in such a way that it can be utilised for growing of fodder, if not for human consumption? How quick would be the action taken by the Government?

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, यह ठीक बात है कि पीने के पानी की बहुत दिक्कत है । उसके लिए प्रधान मंत्री जी ने बाकायदा आदेश दिए हैं और शीघ्र ही मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने जा रहे हैं, शायद उसकी डेट रख दी है । उसमें भी इस बात पर विचार किया जाएगा कि पानी की जो समस्या है उसको कैसे हल करें । लेकिन जहां तक इनका सवाल है कि नहरों में गंदा पानी डलता है जिसे कई मवेशी पीते हैं, इंसान पीते हैं, उससे उन को नुकसान होता है । अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो और थोड़ा बहुत गंदा पानी उसमें डाल भी दिया जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बरसात न होने की वजह से पानी कम है और गंदा पानी उसमें डाला जाएगा तो इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा । इस बात को रोकथाम करने के लिए हमने आदेश जारी किए हैं, हमने स्टेट बोर्डों को हिदायत दी है कि फैक्टरियों के खिलाफ कार्यवाही करें और गंदे पानी को रोकें ।

SHRI RAJIV GANDHI: Madam Deputy Chairman, to what the hon. Minister has said just now I would like to add that we have already taken steps to identify factories which are consuming large quantities of water and also those factories which consume large amount of energy and to see the availability of water and energy in those particular areas and then to take action against them.

SHRI NAGEN SAIKIA: Madam Deputy Chairman, I want to know from the hon. Minister whether it is known to him that due to drilling of oil in modern areas of Assam an alarming increase in pollution of water is there. If it is known to him, what effective measures the Government of India is going to take?

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, असम के बारे में उन्होंने कहा । लेकिन चाहे असम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो जिसके बारे में यह सवाल है, हमने सभी जगह स्टेप लिए हैं और लेने जा रहे हैं । लेकिन आप जानते हैं कि यह छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़े उद्योग यहां लगे हुए हैं और उद्योगों से प्रदूषण होता है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं । मगर हमने फैसला किया है आगे के लिए कि हम लाइसेंस इस नहीं करेंगे, फैक्टरी चालू नहीं करने देंगे जब तक कि ट्रीटमेंट प्लांट वे नहीं लगाते । लेकिन जो पहले के लगे हुए हैं उनमें दिक्कतें आ रही हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सीमेंट उद्योग हैं, देश में कुल 104 सीमेंट फैक्टरीज़ है, हमने उनको कहा है कि दिसम्बर, 1988 तक वे ट्रीटमेंट प्लांट लगा लें ताकि धुंए से वायुमंडल

खराब न हो और लोगों को इससे तकलीफ न हो ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Q. No. 302.

Export of HPS Groundnuts

*302. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether any scheme has been prepared to promote the export of HPS groundnuts; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) and (b) Export Policy for HPS Groundnut has been liberalised since April '86. Exports are now freely allowed under Open General Licence-III.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Madam Deputy Chairman, we have targeted a production of 93 lakh tonnes of groundnut by 1989-90. That means we will have a large surplus for export whereas exports are coming down year after year. In 1975-76 we were exporting 2 lakh tonnes of groundnut and last year 1986-87 they came down to just 29,496 tonnes. I do not know what were the main reasons for the decline in exports. Maybe we are facing a stiff competition from the United States and China. There are countries like Japan which are purchasing large quantities of groundnut. Is it because of any lapses in our export policy or we are not able to influence these countries to buy? Let the Minister explain.

SHRI P. R. DAS MUNSHI: Madam Deputy Chairman, there is no deficiency in our export policy of groundnut. The first reason I would like to inform the hon. Member is that the recession of the international price for the last one decade in groundnuts and increase of the domestic price in respect of countries including India did create a problem for us to inspire our exporters to export more. Secondly, Madam, the percentage of export has come down to five per cent of the total volume of export of groundnut. One of the problems we are faced with, for which we are taking action with the Ministry of Agriculture, is a kind of fungus which affects Indian groundnut more in comparison to the United Sttaes, China and others. These matters are being exclusively considered by the Ministry of Agriculture to find out what measures we can take to reduce it. Finally, production sometimes is affected adversely due to drought. Now, the expected target of production is affected and production has collapsed. But the domestic consumption of oil and oil seeds for extraction has increased rapidly. Therefore, this is happening. Nevertheless, we are taking all efforts to see whether we can increase our export in HPS groundnut.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Madam, the exporters of groundnut want some incentives so that they can step up exports. One of the suggestions is to give a cash assistance of fifteen per cent or alternatively to allow them to import oil or oilseeds against exports. Is it under the consideration of the Government of India?

SHRI P. R. DAS MUNSHI: It is a fact that exporters through their organization called the Oil Exporters—Producers Association did submit a proposal for us to provide incentive in terms of CCS. We got it examined last month and we find that the indirect tax provision is so much prohibitive that the Cash Assistance Review Committee do not find any justification for CCS incentive. But, at present, we are examining whether some *ad hoc* CCS can be given to them in this respect. So far as the alternative arrangement of import, twenty-five per cent import of oil seeds for crushing in India, is concerned, while we examine this matter, there are a lot of problems and still the matter is under examination be-